

न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ

प्रकरण संख्या : 83 / 2016

बमुक शकुन्तला बनाम दुर्गेश

दावा वावत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

7.12.2016 दावा बाद जांच कार्यालय से पेश हुआ । वकील वादीया उपस्थित । वकील वादिया को सुना । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे । पत्रावली दिनांक 11.1.2017 को पेश हो ।

[Signature]
उपखण्डाधिकारी


11/1/17 वकील वादी उपो कार्यालय से सम्मन जारी नहीं किये गये हैं। जारी कर पत्रावली दिनांक 15/3/17 को पेश हो

15/3/17 वकील वादी उपो कार्यालय से सम्मन जारी नहीं किये गये हैं। जारी कर पत्रावली दिनांक 24/4/17 को पेश हो

[Signature]
उपखण्डाधिकारी

8-6-17 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत। कैम्प कोर्ट अदालत सेवा डेन्ट रजिस्ट्रार सुक पर पेश हुई। ~~यहाँ~~ कोर्ट उपो नहीं। साक्षिणा द्वारा अन्तर्गत धारा 188 RIM वाले स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। ~~यहाँ~~ प्रकरण कब्जे के विवाद से सम्बन्धित है। साक्षिणा में नामक गृहणीयदार सैपऊ स्थं पत्रावली को मौके पर भेजकर मौके निरीक्षण कृतमा गया।

जिन परवारियों द्वारा नामब तहसीलदार के साथ
 मौका निरीक्षण रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की
 है कि निवादिन आराजी ख. नं. 787 खुवा 2वीं घाट
 विश्वा पर रवी की फुलल जोई की पैदावार सुनिवादीन
 द्वारा की गई है वर्तमान में गूँगे जोई पर खाली है।
 उपरोक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि निवादिन आराजी
 पर वादिया का कुब्जा नहीं है। कुब्जे के आभाव में वादिया
 का दावा चलाने योग्य नहीं है। (दावा वादिया खारिज
 किया जाता है) पञ्चवली के माल सुगार होकर दारिजल
 दफ्तर हो।


 उपखण्ड अधिकारी सैफरु
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
 ग्राम पंचायत रजौरा बुध